राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1025/2014/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत–बांसवाडा ...अपीलार्थी

बनाम

रोशनलाल जोधराज कन्स्ट्रक्शन,
71, कोठारी स्ट्रीट, नियर क्लोक टॉवर, उदयपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.खदाव
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री पी.डी.जावरिया
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.10.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 74/वेट/2013–14/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम "** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत कायम मांग राशि रूपये 1,12,590/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया जिसके विरूद्व अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.06.2013 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–II, बांसवाडा द्वारा एन.एच.8 रतनपुर, डूंगरपुर पर उक्त वाहन की चैकिंग की गई। करवंचना का वाद दर्ज कर, स.वा.क.अ. ने आक्षेप लगाया है कि वाहन में लदे माल सेरेमिक टाईल्स के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्र वेट 47 नं. 8148771 अवधिपार है तथा इसके पार्ट बी के कॉलम नं. 1 में कांट–छाट है, जो कि धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लघंन है। इस हेतु स.वा.क.अ. द्वारा धारा 76(6) के तहत करवंचना का वाद दर्ज किया गया। उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, उदयपुर के उक्त आदेश दिनांक 08.06.2013 की अनुपालना में उक्त दर्ज अभियोग के निस्तारण के क्रम में सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, उक्त कमियों के लिए मार्फत वाहन चालक एवं माल प्रभारी के मैसर्स रोशनलाल जोधराज कन्स्ट्रक्शन, उदयपुर को धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। दिनांक 10.06.2013 को वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री अमर लाल वास्ते मैसर्स रोशनलाल जोधराज कन्स्ट्रक्शन, उदयपुर उपस्थित हुए एवं व्यवसायी द्वारा तैयार लिखित

लगातार.....2

जवाब पेश किया। प्रस्तुत लिखित जवाब पत्रावली पर उपलब्ध है अपने जवाब के साथ नया वेट 47 नं 8148772 संलग्न करते हुए, व्यवसायी ने लिखा कि इसमें कोई कर चोरी की मंशा नहीं है। व्यवसायी ने प्रकरण को उसी दिन निपटाने का निवेदन किया। कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्ड .बनाम सी.टी.ओ. (2007) के प्रकाश में निर्णय पारित करते हुए धारा 76(6) के तहत सेरेमिक टाईल कीमतन 2,55,885/– रू पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति राशि रू 76,766/– एवं वेट 14 प्रतिशत की दर से राशि रू. 35,824/– कुल राशि रू. 1,12,590/– की मांग कायम की गई। व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपरोक्त मांग के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपील आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया जिसके विरूद्व अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा वक्त परिवहन माल के साथ घोषणा प्ररूप वेट–47 अवधि पार होने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत एवं उचित है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै. गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा.क.अ., 18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरन दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अविधिक होने के कारण इसे अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखने हेतु निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि व्यवसायी राज्य के बाहर से टाईल्स आयातित कर रहा था जिसके साथ वेट–47 के पार्ट बी के कॉलम संख्या 01 इनवोईस में 964 का 967 लिखा हुआ था जबकि हमारे द्वारा इनवोईस संख्या 967 भी साथ में संलग्न था कोई काट–फास अन्य में नहीं थी फिर भी हमारे द्वारा नया प्रपत्र वेट–47 क्रमांक 8148772 पेश कर दिया गया था। उक्त वाद मैसर्स डीपी मेटल्स, उच्चतम न्यायालय द्वारा संचालित होता है। अतः आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में स्पष्ट है कि माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्रपत्र वेट–47 प्रस्तुत किया गया था वह वक्त जांच कालीतत था परन्तु सुनवायी का अवसर दिये जाने पर प्रस्तुत जवाब के साथ नया वैद्य घोषणा प्ररूप वेट–47 प्रस्तुत कर दिया गया। माल के अन्य समस्त विहित दस्तावेज सही एवं पूर्ण पाये गये थे। जहा तक कॉट–छांट का प्रश्न है वेट–47

में इनवोइस नं. के कॉलम में 967 लिखा हुआ है जो ओवर राईटिग करके लिखा हुआ है तथा इसमें दिनांक 07.06.2013 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 11 पर उपलब्ध ओरेकल ग्रेनाईट लि. का इनवोईस सं. 967 दिनांक 07.06.2013 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि यह ओवरराईटिंग किसी अनुचित उद्देश्य से की जानी प्रतीत नहीं होती है। उक्त प्रकरण मै. डी.पी.मेटल्स (124) एस.टी.सी. 611 के न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों के अनुकूल हैं। इसके अलावा माननीय कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 में अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है तथा अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य